न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 09 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत		1. नारायणसिंह पुत्र जवारसिंह 2. बाबुसिह पुत्र जवारसिंह 3. उगमकंवर पत्नी जवारसिंह जातिगण निवासी रून्दिया तह0 सोजत 4. गुलाबकंवर पत्नी हरीसिंह कौम पुरोहित निवासी रून्दिया तह0 सोजत 5. बद्रीसिंह पुत्र रावतसिह कौम पुरोहित निवासी रून्दिया तह0 सोजत 6. मोहनसिह पुत्र रावतसिह कौम पुरोहित निवासी रून्दिया तह0 सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. **तहसीलदार सोजत वादी स्वयं उपस्थित।**
2. **श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।**

—: **निर्णय** :— **दिनांक — 20.02.2020**

वादी अर्थात् तहसीलदार, सोजत ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा रून्दिया तहसील—सोजत का नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 19.8.85 अनुसार सिवाय चक खसरा नम्बर 234 गै0मु0 भाकर मे सें नियमन का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो माफिक आदेश क्रमांक / राजस्व / 277 दिनांक 23.02.77 के पुराने ,खसरा नम्बर 272 में नियमन होने से नये खसरा नम्बर 234 से भरा होने का नोट अंकित है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत अटबडा द्वारा 19.08.85 को स्वीकृत हुआ। जिससे जवारसिंह पुत्र रावतसिह पुरोहित सा0 देह खातेदार ख0न0 234 मी0, रकबा 0.08 हैक्टर, गुलाबकंवर पत्नि हरिसिंह सा0 देह खातेदार ख0न0 234 रकबा 0.08 हैक्टर, बद्रीसिंह पुत्र रावतसिंह सा0 देह खातेदार ख0न0 234 रकबा 0.04 हैक्टर, मोहनसिंह पुत्र रावतसिंह जातियान पुरोहित सा0 देह खातेदार ख0न0 234 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बाडा का इन्द्राज खातेदारो के दर्ज किये गये। उक्त खातेदारो में से जवारसिंह पुत्र रावतसिंह फौत हो चुके है, जिनके स्थान पर नारायणसिंह, बाबुसिह पिता जवारसिंह व उगमकंवर पत्नी जवारसिंह रेकॉर्ड में दर्ज हुए है। उक्त नियमन भूमि के बट्टा नम्बर की तरमीम नक्शा लट्ठा में अंकित नही है तथा न ही नामान्तरकरण की पुस्त पर नजरी नक्शा अंकित है। डी आई एल आर एम पी योजनान्तर्गत वन टू वन मेपींग हेतु उपरोक्त तरमीम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेशानुसार मौका स्थिति अनुसार करनी है। उक्त नियमन भूमि का मौके से सीमांकन करने पर भूमि वर्तमान नक्शा लट्ठा अनुसार खसरा नम्बर 346 रकबा 2.31 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत विभाग में दर्जशुदा है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराने खसरा नम्बर 272 मी0 से नये खसरा नम्बर 346 बना है, एवं मौका स्थिति अनुसार भी उपरोक्त नियमित बाडे की भूमि खसरा नम्बर 346 में आती है। किन्तु नामान्तरकरण सख्या 91द्वारा खसरा नम्बर 234 में अमल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

दरामद गलत रूप से अंकित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। क्षैत्रफल व आदेश का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने का क्षैत्राधिकार नही होने से नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 19.08.85 निरस्त योग्य है। खसरा मिलान अनुसार पुराने खसरा नम्बर 272 से ही खसरा नम्बर 346 बने है जो कि वर्तमान में आबादी दर्ज शुदा है। उक्त व्यक्तियों को सैटलमेन्ट पूर्व मे जो भूमि आवंटन की गई थी, उसका नामान्तरकरण संख्या 91 वर्ष 19.8.85 को सेटलमेन्ट के पश्चात दर्ज किया गया तथा इसमें नोट अंकित किया गया है कि पुराने खसरा नम्बर 272 में नियमन होने से नये खसरा नम्बर 234 में भरा गया। किन्तु वर्तमान स्थिति अनुसार जिन व्यक्तियों को जो भूमि नियमन की गई थी वह खसरा नम्बर 346 में स्थित है एवं उक्त व्यक्ति उसी पर निवास भी कर रहे है। इस प्रकार जो भूमि उक्त व्यक्तियों को नियमन की गई थी वह वर्तमान में सैटलमेन्ट के पश्चात स्वतः ही खसरा नम्बर 346 में आ चुकी है। किन्तु दिनांक 19.8.1985 को ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 91 स्वीकृत होने से विरोधाभाषी स्थिति हो गई। जिसे खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना न्योचित एवं विधिसम्मत है। नियमन योग्य भूमि स्वत ही आबादी में आ चुकी है जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 91 को खारिज किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति विशेष का हित प्रभावित भी नही होगा। इस प्रकार राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आ0टी0एक्ट सपठित 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश कर चूंकि प्रथमतः तो ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार ही नही था, जिससे गलत तरीके से भरे गये नामान्तरकरण संख्या 91 खारिज किये जाने तथा वास्तविक मिलान खसरा तथा मौके पर उक्त बाड़ा की अवस्थित स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 346 में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त व्यक्तियों के नाम प्रविष्टि दुरूस्त रूप से दर्ज करवाये जाने अर्थात दुरूस्ती का आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है। ताकि उक्त वस्तुस्थिति मौका व राजस्व रेकर्ड अनुसार सही व दुरूस्त दर्ज करवाया जा सके। साथ ही राज्य सरकार की डी आई एल आर एम पी योजनान्तर्गत वन टू वन मेपींग का कार्य पूर्ण किया जा सके। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए समन बास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बावजूद तामिली/सूचना बजरिए आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 5 की ओर से श्री गोविन्दसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता ने दिनांक 20.02.2020 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हो। श्री राजपुरोहित अधिक्ता द्वारा ज0दा0 पेश करना नहीं चाहने तथा उक्त वस्तुस्थिति मौका एवं राजस्व रिकार्डनुसार सही करवाई जाकर राज्य सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजनान्तर्गत वन टू मेपिंग कार्य दुरूस्त/पूर्ण करवाये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 की यधपि नोटिसेज तामिली नहीं होकर अदम तामिली प्राप्त हुए है किन्तु चूँकि "उक्त वस्तुस्थिति मौका एवं राजस्व रिकार्डानुसार डी0आई0एल0आर0आर0एम0पी0 योजनान्तर्गत वन टू मेंपिग कार्य दुरूस्त/पूर्ण करने से प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 6 के हक अधिकारों तथा मौके की स्थिति पर कोई विपरित प्रभाव/दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा तथापि मौके स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड में समानता/एकरूपता ही होगी, फलस्वरूप अब तलबी किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस वादी तहसीलदार, सोजत एवं अधिवक्ता प्रति संख्या 5 श्री पुरोहित प्रस्तुत राजस्व वाद के परिप्रेक्ष्य में सुनी गई व समायत की गई। बहस के दौरान वादी तहसीलदार, सोजत एवं राजस्व रेकर्डानुसार/मिलान खसरा अनुसार व वास्तविक ख0न0 मौके अनुसार 346 ही होना संपुष्ट होने से डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजनान्तर्गत वन टू मेपिंग की उक्त दुरूस्ती किया जाना आवश्यकता होने वाद स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में अधिवक्ता प्रति0 संख्या 5 ने रेकर्ड में दर्ज वास्तविक मौके अनुसार (पूर्वोक्त मिलान खसरा में दर्ज वास्तविक व दुरूस्त ख0न0 234 न होकर 346 नये खसरा नम्बर दर्ज होने से) वाद स्वीकारोक्ति की है अर्थात् कोई आपति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

अधिवक्ता प्रति0 संख्या 5 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मिलान खसरा सम्वत् 2028 खतोनी बंदोबस्त, ना0सं0 91 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 तथा प्रा0 पत्र में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मिलान एवं गौर करने पर वस्तुस्थिति अनुसार मिलान खसरा अनुसार ख0न0 272 में आवंटित/नियमित बाडा भूमि के नये ख0न0 346 गै0मु0 आबादी में दर्ज है। किन्तु ना0सं0 91 दर्ज करते समय सद्भाविक भूलवश सम्बन्धित राजस्व कार्मिक द्वारा ख0न0 234 में भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत अटपड़ा से पारित करवाया गया। उक्त नामान्तरकरण अवैध, अधिकारों से परे एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना, नामान्तरकरण संख्या 91 को निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उक्त विवेचनानुसार चूंकि मिलान खसरा सम्वत् 2028 खतोनी बंदोबस्त, ना0सं0 91 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 तथा प्रा0 पत्र में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मिलान एवं गौर करने पर वस्तुस्थिति अनुसार मिलान खसरा अनुसार ख0न0 272 में आवंटित/नियमित बाडा भूमि के नये ख0न0 346 गै0मु0 आबादी में दर्ज है। किन्तु ना0सं0 91 दर्ज करते समय सद्भाविक भूलवश सम्बन्धित राजस्व कार्मिक द्वारा ख0न0 234 में भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत अटपड़ा से पारित करवाया गया। उक्त नामान्तरकरण अवैध, अधिकारों से परे एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 91 को निरस्त किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार, सोजत को निर्देशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 09 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत		7. नारायणसिंह पुत्र जवारसिंह 8. बाबुसिह पुत्र जवारसिंह 9. उगमकंवर पत्नी जवारसिंह जातिगण निवासी रून्दिया तह0 सोजत 10. गुलाबकंवर पत्नी हरीसिंह कौम पुरोहित निवासी रून्दिया तह0 सोजत 11. बद्रीसिंह पुत्र रावतसिह कौम पुरोहित निवासी रून्दिया तह0 सोजत 12. मोहनसिह पुत्र रावतसिह कौम पुरोहित निवासी रून्दिया तह0 सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05 श्री गोविन्दसिंह राजपुरोहित पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उक्त विवेचनानुसार चूँकि मिलान खसरा सम्वत् 2028 खतोनी बंदोबस्त, ना0सं0 91 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 तथा प्रा0 पत्र में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मिलान एवं गौर करने पर वस्तुस्थिति अनुसार मिलान खसरा अनुसार ख0न0 272 में आवंटित / नियमित बाडा भूमि के नये ख0न0 346 गै0मु0 आबादी में दर्ज है। किन्तु ना0सं0 91 दर्ज करते समय सद्भाविक भूलवश सम्बन्धित राजस्व कार्मिक द्वारा ख0न0 234 में भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत अटपड़ा से पारित करवाया गया। उक्त नामान्तरकरण अवैध, अधिकारों से परे एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 91 को निरस्त किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार, सोजत को निर्देशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –   मुबलिग –   बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.02.2020 को जारी की गई।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.